



भारत सरकार
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार हेतु ज्ञान तक पहुंच (ए2के+) अध्ययन
प्रस्तावों हेतु आह्वान

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) अनुसंधान और प्रबंधन में उच्च शिक्षा के संस्थान, अनुसंधान और विकास संस्थान, उद्योग संघ, वाणिज्य और उद्योग के चैंबर, तकनीकी परामर्श संगठन, आदि जैसे सार्वजनिक वित्त पोषित निकायों अथवा संस्थानों से एक अलग कानूनी इकाई (जीएफआर 2017 के नियम 228 के अनुसार) वाले संस्थानों से प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए ज्ञान तक पहुंच (ए2के+) अध्ययन कार्यक्रम के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

ए2के+ अध्ययन कार्यक्रम का उद्देश्य उपयोगी सूचना उपलब्ध कराने पर केंद्रित प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्र में और उद्योग, उद्योग संघों, शिक्षाविदों, अनुसंधान संस्थानों, सलाहकारों, उद्यमियों, अनुसंधान छात्रों और इन क्षेत्रों में आगे काम करने हेतु नीति निर्माताओं, उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में विकास का अध्ययन और विश्लेषण करना और परिणामों का दस्तावेजीकरण करना; व्यापक प्रसार के लिए निष्कर्षों और प्रवृत्तियों में अध्ययन रिपोर्टों का सहयोग करना है और सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थानों से प्रौद्योगिकियों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करना है जो संस्थानों से बाजार में अनुसंधान उत्पादन के अनुवाद को उत्प्रेरित करने के लिए व्यावसायीकरण के लिए तैयार हैं।

निम्नलिखित विषयों से संबंधित अध्ययन के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किया गया है:

- पीवीसी अपशिष्ट, नगरपालिका अपशिष्ट, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट, अस्पताल अपशिष्ट, ई-अपशिष्ट आदि जैसे कृषि-औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग करके नई निर्माण सामग्री के विकास से संबंधित एक अध्ययन रिपोर्ट।
- समुद्री जल/लवणीय जल के विलवणीकरण के लिए झिल्ली के स्वदेशी विकास संबंधित अनुसंधान की स्थिति से संबंधित एक अध्ययन रिपोर्ट।
- सीवेज उपचार के लिए इसके रीसायकल और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए झिल्ली के स्वदेशी विकास संबंधित अनुसंधान पर अध्ययन रिपोर्ट।
- कुशल ऊर्जा निर्माण की दिशा में उन्नत निर्माण सामग्री और निर्माण डिजाइन संबंधित रिपोर्ट।
- आईसीटी उपकरणों पर एक रिपोर्ट शिक्षार्थियों की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा करती है, जिसमें विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे भी शामिल हैं
- अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों जैसे सेंसर आधारित डिब्बे, संवेदक आधारित स्वचालित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली में आवासीय भवनों में कचरा स्यूट के माध्यम से लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी/इंस्ट्रुमेंटेशन के विकास संबंधित अध्ययन रिपोर्ट।

अध्ययन का दायरा:

- अंतिम रिपोर्ट भविष्य के अनुसंधान और वर्तमान राष्ट्रीय और वैश्विक परिदृश्य पर आधारित व्यावसायीकरण रणनीति की दिशा में हितधारकों के लिए एक गो-टू-समाधान होना चाहिए।
- रिपोर्ट भविष्य की संभावनाओं, संभावित समाधान, नीतिगत सिफारिशों के संदर्भों पर आधारित और राष्ट्रीय दृष्टि के अनुरूप विनियम क्षेत्र में व्यापक विचार-विमर्श होना चाहिए।

अध्ययन की अवधि: 1 वर्ष तक

आवेदन प्रस्तुत करना: निर्धारित आवेदन प्रपत्र वेबसाइट; <http://dsir.gov.in/#files/12plan/a2k/a2ks.html> से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदकों को ई-मेल के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित प्रस्ताव की एक हार्ड कॉपी+ एक सॉफ्ट कॉपी [एमएस वर्ड फाइल] और एक पेन ड्राइव को संलग्न करके: डॉ सुजाता चकलानोबिस, वैज्ञानिक 'जी' और प्रमुख (ए2के+), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016। ईमेल: priya@nic.in दस्तावेज़ लिफाफे पर "गोपनीय, ए2के+ अध्ययन" लिखा होना प्रस्तुत करना चाहिए।

किसी भी प्रकार की पूछ ताछ के लिए कृपया संपर्क करें:

डॉ वंदना कालिया, वैज्ञानिक 'ई',
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
प्रौद्योगिकी भवन, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली-110 016
ईमेल: Vandana.Kalia@nic.in, फोन: 011 - 2951234 ext. 15057, 15025
प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 10/05/2022